कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-10-03-2026

Trojan व SMS forwarder Based APK भेजकर कुल 08,38,402/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले गैग के सरगना सहित 02 साइबर अपराधी अण्डाल पं0 बंगाल से गिरफ्तार व उनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सामाग्री व नकदी बरामद।

दिनांक 05-01-2026 को आवेदक/पीडित श्री अनूप गुप्ता पुत्र स्व0 ताडकनाथ गुप्ता निवासी मछरहट्टा थाना रामनगर वाराणसी द्वारा थाना साइबर क्राइम वाराणसी मे लिखित प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया कि उनके बैक खाते को साइबर अपराधियों द्वारा अवैध रूप से हैक कर कुल 08,38,402/- रूपये की साइबर ठगी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर 02/2026 धारा- 318(4) BNS & 66D IT Act व बढोत्तरी धारा- 61(2), 317(2),338,336(3),340(2) BNS पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री उदयबीर सिंह द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल व अन्य सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु टीम को निर्देशित किया गया जिसके क्रम मे गठित टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व डिजिटल फूटप्रिंट के माध्यम से त्वरित कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन अण्डाल पं0 बंगाल से 02 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 06 अदद आईफोन ,09 अदद एंड्रायड मोबाइल व मुकदमा अपराध से सम्बन्धित नगद धनराशि कुल – 1,52,100/- रुपये बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

मुकदमा उपरोक्त की घटना मे शामिल साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न बैक व आरटीओ चालान पेमेन्ट से सम्बन्धित फर्जी कूटरचित डिजिटल फ्लायर बनाकर एक कूटरचित एपीके फाइल के साथ लोगो को भेजा जाता है यह एप्लीकेशन लोगो के मोबाइल मे इन्स्टाल होते ही उनके मोबाइल फोन का एक्सेस तथा आने वाले सभी एसएमएस इन साइबर अपराधियों के पास आ जाता है जिसके बाद इन साइबर अपराधियों द्वारा एसएमएस बाम्बर से सैकडो की संख्या मे टारगेटेड यूजर को एसएमएस भेजते है जिससे यूजर भ्रमित हो जाता है इसी बीच इनके द्वारा बैंकिग का ट्रान्जेक्शन कर पैसा बैंक खातों से निकाल लिया जाता है। इन पैसो को यह टेलीग्राम बोट के माध्यम से प्राप्त म्यूल बैंक खातो मे भेजा जाता है और कार्डलेस पेमेन्ट के माध्यम से पैसा निकाल लिया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.नागेश्वर मण्डल पुत्र राजेश मण्डल हालपता- ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं0 बंगाल व स्थायी पता- ग्राम मोहनपुर थाना नरायनपुर जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 30 वर्ष
2.अक्षय मण्डल उर्फ पिन्टू पुत्र लखिन्दर मण्डल हालपता ग्राम भादुर थाना अण्डाल जिला पश्चिमी बर्धमान पं0 बंगाल व स्थायी पता- ग्राम सियाताड थाना करमाताड़ जनपद जामताड़ा झारखण्ड उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण

1- FIR No- 39/2021 U/s 414, 419, 420, 467, 468, 471 120b IPC 66B, 66C, 66D IT Act Ps Cyber Crime Jamtara Jharkhand (Nageshwar Mandol)

बरामदगी का विवरण-

- ✓ *आई0ओ0एस0 मोबाइल-* *06 अदद* **(कीमत लगभग 5.5 लाख)**
- ✓ *एण्ड्रायड मोबाइल-* *09 अदद* ***(कीमत लगभग 3 लाख)***
- ✓ *नगद धनराशि-* *1,52,100/- रूपये।*

- **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

  - ***निरीक्षक उदयबीर सिंह***
  - ***निरीक्षक शिवाकांत शुक्ला***
  - ***उ0नि0 आलोक सिंह यादव***
  - ***उ0नि0 विवेक सिंह***
  - ***हे0का0 रजनीकांत***
  - ***का0 चन्द्रशेखर यादव***
  - ***का0 देवेन्द्र यादव***
  - ***का0 दिलीप कुमार***
  - ***आ0 चालक विजय कुमार***

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त (अपराध)
कमिश्नरेट वाराणसी।